

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर, बरडीहा,
पत्रालय - जगदीशपुर धर्मदानी, जनपद- कुशीनगर।

पत्रांक-शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-59 / 1995-98 / 2010-11 दिनांक 8-2-2011
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक मेमो/बी०टी०सी०/2010-11 दिनांक 18.01.2011 के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दो वर्ष के प्रोवेशन पर सत्र 2010-11 से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा इसमें अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री आनन्द कुमार सिंह (पिछड़ी जाति)	प्रवक्ता	आधारिक
2. श्री आमीयनाथ त्रिपाठी	प्रवक्ता	प्राविधि
3. श्री विजय कुमार उपाध्याय	प्रवक्ता	प्राविधि
4. श्री प्रदीप कुमार शाहनी (पिछड़ी जाति)	प्रवक्ता	कला
5. श्री अशरफ अली	प्रवक्ता	स्वास्थ्य शिक्षा

एन०सी०टी०ई० नियमावली 2009 के अपेडिक्स II के अनुसार विभागाध्यक्ष के पद हेतु शिक्षण अनुभव न होने तथा प्रबन्धक के पत्रांक नियमों दिनांक 18.01.2011 के अनुसार अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने की दृष्टि से श्रीमती शिवांगी उपाध्याय का चयन निरस्त करने के कारण अनुमोदन पर विचार नहीं किया गया।

भवदीय

8.2.11

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 59 / / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समिति ए-46 शांतिपथ तिलक नगर जयपुर (राजस्थान)।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, पडरौना, कुशीनगर।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पंजीकृत

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर बरडीहा, पत्रालय-जगदीशपुर धर्मदानी
कुशीनगर।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-59 / 6782-85/2013-14 दिनांक: 01-8-13
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 03/2013 दिनांक 08.07.2013 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक:शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-59/1995-98/2010-11 दिनांक 08.02.2011 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. श्री सुनील दत्त (अनुसूचित जाति)

प्रवक्ता प्रविधि

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद पर चयनित अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव एन०सी०टी०ई० नियमावली के मानकानुसार न होने के कारण अनुमोदन के सम्बन्ध में वैधानिक कठिनाई हो रही है।

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(श्रीमती) नीना श्रीवास्तव
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 59 / /2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, कुशीनगर।

(श्रीमती) नीना श्रीवास्तव
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।